राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3496 / SEIAA/2022
Date: 21/3/22

प्रति,

मेसर्स आर.एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि., अधिकृत व्यक्ति, वीरेन्द्र सिंह जादौन,
निवासी ई–7 / एम–708, अरेरा कॉलोनी,
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषयः– प्रकरण कमांक 7465 / 2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि., अधिकृत व्यक्ति, वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी ई–7 / एम–708, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57440 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.744 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 29 / 1, 29 / 2, ग्राम कोदर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 710 वी बैठक दिनांक 08.03.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया ......

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 553वी बैठक दिनांक 22.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustanable Sand Mining Guideline 2016 & Enforecement and moitoring guideline for sand 2020 के अनुसार एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ.ए. नम्बर 456 / 2018, 726 / 2018 के आदेश दिनांक 04.11.2020 व माननीय उच्चतम न्यायलय के अपील क्र. 3661 / 2020 के आदेश दिनांक 10.11.2021 एवं माननीय एनजीटी (विशेष पीठ) के आदेश दिनांक 22.02.2022 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिलों की नवीन (अपडेटेड) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का SEAC द्वारा परीक्षण एवं SEIAA के अनुमोदन पश्चात् प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव होगा, अतः वर्तमान में प्रकरण Delist किया जावे। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रकरण Relist होने पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Delist किया जाता है एवं माननीय उच्चतम न्यायलय एवं माननीय एनजीटी (विशेष पीठ) के आदेश में दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिलों की नवीन (अपडेटेड) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का SEAC द्वारा परीक्षण एवं SEIAA के अनुमोदन पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जाना संभव होगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3497 /SEIAA/2022 दिनांक – 21/3/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला उमरिया (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला उमरिया (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल –462016 ।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला उमरिया (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)